

an>

Title: Introduction of the Personal Bankruptcy (Declaration and Rehabilitation) Bill, 2016.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे तंतु, जिसके माध्यम से ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाएगा और उसका पुनर्वास किया जाएगा तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक की पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for mechanism through which a person who is unable to pay off his debts shall be declared bankrupt and rehabilitated and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-

15.32 ½ hours